आखिरी जांच: 20 अक्टूबर 2026 · Fisheries and Fishermen Welfare Department, Government of Madhya Pradesh

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना - बचत-सह-राहत

मध्य प्रदेश की बचत-सह-राहत योजना, जो मछुआ सहकारी समितियों के सदस्यों को मछली पकड़ने पर रोक वाले मौसम में आर्थिक मदद देती है।

क्या मिल सकता है

चुने गए सदस्य को 10 महीने हर महीने Rs 150 यानी कुल Rs 1,500 बचाने पर रोक के मौसम में Rs 4,500 मिलते हैं, जो दो किश्तों में दिए जाते हैं।

किसके लिए है

मध्य प्रदेश की पंजीकृत, चालू मछुआ सहकारी समिति के 18 से 60 साल के बीपीएल सदस्य।

मुख्य शर्तें

- सदस्य को साल के 10 कार्य महीनों में हर महीने Rs 150, कुल Rs 1,500, डाकघर या बैंक में जमा करने होंगे।
- सदस्य पूर्णकालिक पंजीकृत और चालू मछुआ सहकारी समिति का सक्रिय सदस्य हो।
- सदस्य बीपीएल हो और उसकी उम्र 18 से 60 साल के बीच हो।

आवेदन कैसे करें

1. पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति के सक्रिय सदस्य बनें और डाकघर या बैंक में हर महीने की बचत शुरू करें।
2. अपने जिले के सहायक संचालक, मत्स्योद्योग से संपर्क करें, जो पदभिहित अधिकारी हैं। पृष्ठ के अनुसार प्रक्रिया नियमानुसार चलती है और समय सीमा 30 दिन है।
3. पृष्ठ पर ऑनलाइन लिंक के रूप में मत्स्य विभाग का पोर्टल दिया गया है।

स्थिति

चालू

आधिकारिक स्रोत: https://cmhelpline.mp.gov.in/Schmedetail.aspx?Schemeid=219
Labh Lo पेज: https://labhlo.in/hi/schemes/madhya-pradesh/mp-pmmsy-bachat-saha-rahat/

Labh Lo सारांश। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।
Labh Lo एक स्वतंत्र जानकारी देने वाला मंच है। यह PDF एक सारांश है। यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है। पात्रता और मंज़ूरी का अंतिम फैसला सरकारी विभाग करता है। आवेदन से पहले आधिकारिक स्रोत जांचें।